कार्यवृत्त

मंगलवार, 26 फाल्गुन, शक संवत्, 1936
(दिनांक 17 मार्च, 2015 ई0)

खण्ड–42
अंक–5

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर 'हरिद्वार में दो लोगों की निर्मम हत्या कर दिए जाने विषयक' सूचना पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे प्रश्न काल के बाद इसका संज्ञान लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस पर खड़े हुए सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

श्री मदन कौशिक ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कल ग्राह्यता पर पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति पर चर्चा के मध्य मा0 मंत्री ने महामहिम राज्यपाल के नाम का उल्लेख कई–कई बार किया। नेता सदन के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय राज्यपाल के नाम का जो उल्लेख किया गया है, वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

आज नियम–300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी एवं पढ़ी गईः–

1. श्री तीरथ सिंह रावत **(पढ़ी हुई मानी गई)**	एक ही अधिकारी द्वारा दो जनपदों में स्थापित दो कार्यालयों के अहम पदों की जिम्मेदारियों का निर्वहन किये जाने के संबंध में।
2. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	देहरादून विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम कुंजा ग्राण्ट में पेयजल की समस्या उत्पन्न होने के संबंध में।
3. श्रीमती अमृता रावत	विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में।
4. श्रीमती विजय बड़थ्वाल	विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिंगाल पाणी, गूम, पोगठा मोटर मार्ग का निर्माण लम्बे समय तक पूर्ण न होने के संबंध में।
5. श्री यतीश्वरानन्द **(पढ़ी हुई मानी गई)**	विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में पुरानी हरिदार सड़क बनाये जाने के संबंध में।

6. श्री दलीप सिंह रावत	वर्ष 2010 में आपदा में बहे बंजा देवी रिखणीखाल पुल न बनने के संबंध में।
7. श्री संजय गुप्ता	विधान सभा क्षेत्र लक्सर में सड़क बनाने के संबंध में।

(पढ़ी हुई मानी गई)

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम– 310 में एक सूचना प्राप्त हुई है जो नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक व अन्य सदस्यों की ''हरिद्वार में दो लोगों की निर्मम हत्या कर दिए जाने विषयक'' है, को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम भेरूचौबट्टा से सुकराड़ी (एस0सी0पी0 ग्राम) होते हुए गैराड़ बिलखेत तक मोटर मार्ग मिलान के सम्बन्ध में" श्री भूपाल सिंह, निवासी ग्राम पल्सों, पो0 चौंरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा, ''देहरादून के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड 55 गांधीग्राम क्षेत्र में नालियों की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में" श्री माजिद, निवासी 401 गुरू रोड देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''देहरादून के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड 50 कांवली क्षेत्र में जल भराव की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में" श्री संजय रौथाण, निवासी व्योमप्रस्थ कांवली देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''देहरादून के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड 54 पश्चिमी पटेलनगर के किनारे बहने वाली बिंदाल नदी के किनारे सुरक्षा दीवार एवं नदी के तल को भरने हेतु चैकडैम बनाने के सम्बन्ध में" श्रीमती अनीता सिंह पार्षद, निवासी 173 सहारनपुर रोड, पटेलनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''देहरादून के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड 55 गांधीग्राम के किनारे सुरक्षा दीवार एवं चैकडैम बनाने के सम्बन्ध में" श्री मंगल सिंह, निवासी 336 नई बस्ती गुरू रोड, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पष्टा में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री साजेश तोमर, निवासी ग्राम पंचायत पष्टा, पो0ओ0 लांघा, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रूद्रपुर में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री ऋषिपाल निवासी ग्राम पंचायत रूद्रपुर, पो0ओ0 रूद्रपुर, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पपड़ियान में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री मन्तराम निवासी ग्राम पंचायत पपड़ियान, पो0ओ0 कटापत्थर, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बावनधार में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पंचायत बावनधार, पो0ओ0 मदर्सू, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मटोगी में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुरजन सिंह निवासी ग्राम पंचायत मटोगी, पो0ओ0 मदर्सू, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लांघा में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम पंचायत लांघा, पो0ओ0 लांघा, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के डुंगरा न्यायपंचायत की भौनडांडा पेयजल योजना के पुर्ननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती प्रेमा देवी, निवासी ग्राम मंगरोसिरौ, पो0 भेरंगखाल, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के भैरंगखाल क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती प्रेमा देवी, निवासी ग्राम मंगरोसिरौ, पो0 भेरंगखाल, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के भाल की माण्डे जू0 हाईस्कूल के उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री मालचन्द महर, निवासी ग्राम मराड़, पो0 काटल जौनपुर, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के नागराजाधार में लो0नि0वि0 के विश्राम गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती बबीता शाह, ब्लाक प्रमुख थौलधार, निवासी ग्राम दड़माली, पो0 कटखेत थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार को ओ0बी0सी0 क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में" श्रीमती बबीता शाह, ब्लाक प्रमुख थौलधार, निवासी ग्राम दड़माली, पो0 कटखेत थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार में लालूरी कोटी मेहरू मोटर मार्ग का मंजखेत से मोरियाणा तक निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री चन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान, निवासी ग्राम मंजखेत, पो0 कांशी थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

रूड़की नगर के समीप मिलापनगर, मोहनपुरा एवं ढण्डेरा के जल–प्लावन प्रभावित क्षेत्र के जल निकास हेतु सीवर व्यवस्था की जायेगी विषयक दिनांक 9 मार्च 2015 को श्री प्रणव सिंह 'चैम्पियन', सदस्य, विधान सभा के नियम–65 की विशेषाधिकार की प्राप्त सूचना पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसका परीक्षण कर अवगत करा दिया जायेगा।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी गई, जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2015 को पुरःस्थापित किया।

सहकारिता मंत्री ने उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी गई, जो प्रदान की गई।

सहकारिता मंत्री ने उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2015 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 मार्च, 2015 की बैठक में दिनांक 17 मार्च, 2015 तथा 18 मार्च, 2015 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

मार्च, 2015

17 मंगलवार

1– बजट पर सामान्य चर्चा।

2– विधायी कार्य।

मार्च, 2015

18 बुधवार

1– बजट पर सामान्य चर्चा।

2– विधायी कार्य।

1. उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2. उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015, पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

3. उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कल दिनांक 16 मार्च, 2015 को कानून व्यवस्था पर निमय–310 में जो सूचना दी गई थी, उस पर चर्चा काफी वृहत होगी, यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया, जब कि उससे पूर्व कई बार इस विषय पर वृहत चर्चा स्वीकार की गई है तथा आज भी नियम–310 की सूचना इसी विषय से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस विषय पर दिनांक 18 मार्च, 2015 को पुनः सूचाना दे दें, वे उसका संज्ञान लेंगे तथा कल जो कानून व्यवस्था पर एक निर्णय पीठ से आया उसको परम्परा में न लेते हुए भविष्य में कानून व्यवस्था पर जो प्रश्न आयेगा उसको लेने की जो परम्परा रही है उसको बरकरार रखा जाय।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 19 सूचनाएं प्राप्त हुई।

जनपद हरिद्वार के खेड़ाजट अन्तर्गत दो लोगों की हत्या कर दिये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व गृह मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

नगर पंचायत लोहाघाट स्थित दो टैक्सी स्टेण्डों हेतु धनराशि की स्वीकृति के बाद भी निर्माण न होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री पूरन सिंह फर्त्याल सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व नगर विकास मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट (एलो0) अपनी मांगों को लेकर आन्दोलित होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री चन्दन राम दास तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व स्वास्थ्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

खटीमा में 25 जनवरी, 2015 को 15 वर्षीय बालक की हत्या का खुलासा अभी तक न होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व गृह मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी बांध से प्रभावित 109 गांव के नागरिक मूलभूत जलकटाव तथा सुविधाओं से वंचित विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व आपदा मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र किच्छा के ग्राम बखपुर के 6 कृषकों की भूमि नदी में समा जाने के बावजूद उनकी भूमि की नीलामी किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व आपदा मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 47 मिनट पर 03:00 बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के पश्चात् सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मदन कौशिक व श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–10, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

पंचायती राज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मदन कौशिक व नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए उक्त विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिए जाने का अनुरोध किया।

श्री नव प्रभात, सदस्य विधान सभा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

पंचायती राज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कार्यमंत्रणा समिति जो तय करती है उस सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली, 2005 के नियम–217 में उल्लेख है कि ''सदन द्वारा विनिश्चित समय सूची में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा, जब तक कि नेता सदन द्वारा प्रार्थना न की जाय और उस दशा में वह मौखिक रूप से सदन को अभिसूचित करेंगे कि ऐसे परिवर्तन के लिए सामान्य सहमति है और अध्यक्ष सदन का अभिप्राय जानकर उस परिवर्तन को परिवर्तित करेंगे।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य, मदन कौशिक जी ने जो प्रश्न उठाया है उसको भविष्य में परम्परा न बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाय।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी**:–

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बना कर क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी**:–

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्ध नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ निर्मल बनाये जाने के लिये सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करें।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्रीमती, विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी**:–

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के गांवों जिनमें उत्तराखण्डवासियों की जनसंख्या अधिक हो, उत्तराखण्ड में सम्मिलित कर दिये जायें।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी**:–

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जाये।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी**:–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। ''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एवं गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने कि लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी**:–

''उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कह कर लम्बित रखा जा रहा है कि योजना आयोग, भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है, तथा राज्य सरकार द्वारा ''जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः–**

''प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना **चर्चा जारी रहेगी :–**

''प्रदेश में आई भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना **चर्चा जारी रहेगी :–**

''प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/ बिजली/ सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।''

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा नेता प्रतिपक्ष के अभिभाषण से आरम्भ हुई तथा निम्न सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री हरभजन सिंह चीमा,

(चर्चा के मध्य 5:40 बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

2. श्री दलीप सिंह रावत,
3. श्री मनोज तिवारी,
4. श्री चन्दन राम दास,
5. श्री विक्रम सिंह नेगी,
6. श्री हरिदास,
7. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,
8. श्री प्रदीप बत्रा,
9. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर,

(चर्चा के मध्य 7:00 बजे श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

10. श्रीमती सरिता आर्य,

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी में उपखनिज का चुगान कितने सालों से न किये जाने एवं इसके कारण नदी का जलस्तर तटबन्ध के बराबर हो जाने से ढालवाला एवं मुनी की रेती क्षेत्र में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाने विषयक नियम–51 की सूचना पर श्री सुबोध उनियाल, सदस्य, विधान सभा के भाषण से चर्चा आरम्भ हुई। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 17 सूचनाएं प्राप्त हुईं, वे इनमें से–

'' जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम सुन्दरखाल, चुकम एवं आशंक अमरपुर के विस्थापन के संबंध में'' श्रीमती अमृता रावत की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु तथा,

'' राज्य के सीमान्तर्गत नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं के क्षेत्र में हो रहे अनियोजित विकास के सम्बन्ध में'' श्री हरभजन सिंह चीमा की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करते हैं।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत ग्राम भोगपुर से बालावाली तक गंगा नदी पर बने बांध की मरम्मत करने के संबंध में श्री संजय गुप्ता, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, सिंचाई मंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया तथा,

पीएच0डी0 धारकों के नेट की अनिवार्यता करने के फलस्वरूप नौकरी से वंचित रह जाने के कारण व्याप्त असंतोष के संबंध में श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, उच्च शिक्षा मंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।